

# न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

( बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

**क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 51/2019/अजमेर (2019/00051)**

कौशलेन्द्र के.के.सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह, निवासी के-106, जावला हाऊस, आनासागर सर्क्यूलर रोड, कृष्ण गज, अजमेर।

अपीलार्थी

**बनाम**

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

रेस्पोंडेन्ट

**अपील अन्तर्गत नियम 18 आयुद्ध अधिनियम 1959  
विरुद्ध आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश क्रमांक  
न्याय/शस्त्र/14317, 18-19 दिनांक 5-8-2014**

- उपस्थित: 1- श्री कौशल सिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलार्थी  
2- श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट

निर्णय

दिनांक : 28-4-2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष जून 2014 में नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी दादी को उनके पूर्वजों से प्राप्त बंदूक डबल बैरल 22 राईफल व 410 शॉटगन, मेक गेम्स गेटर गन्स, मार्बल कम्पनी यूएस.ए के लाईसेंस धारक है उनके नाम थी जिसे उन्होंने वृद्धावस्था एवं रखरखाव में आने वाली कठिनाईयों के कारण हयरलूम पॉलिसी के अन्तर्गत अपीलार्थी के नाम करने हेतु नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 5-8-2014 से खारिज कर दिया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के उक्त आदेश दिनांक 5-8-2014 से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा-5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के यहां शस्त्र अनुज्ञा पत्र की अपील खारिज होने की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी और अपीलार्थी थल सेना में कार्यरत रहने हेतु पोस्टिंग वेस्ट बंगाल व आसाम में रही, इस कारण अपीलार्थी को अपील खारिज होने का नोटिस नहीं मिला। अपीलार्थी जब दिनांक 1-2-2019 को छुट्टी पर अजमेर घर आया तो जिला कलक्टर कार्यालय से नकल लेने पर दिनांक 8-2-2019 को उक्त आदेश की जानकारी हुई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने अपीलार्थी की धारा-5 मियाद अधिनियम की बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा-5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा-5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष जून, 2014 में नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने का आश्वासन दिया। नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हलका पटवारी, पुलिस थाना किश्चयन गंज, सीआईडी, वन विभाग व जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट भी अपीलार्थी के पक्ष में आ चुकी थी।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी परिवार से अधिकांशतः हजारों किलोमीटर दूरी पर पदस्थापित है अवकाशकाल में अपीलार्थी को अपीलार्थी को स्वयं के वाहन से कई बार घर आना जाना रहता है। अपीलार्थी की पोस्टिंग के सभी स्थान निवास से 1000-2000 किलो मीटर की दूरी पर है तथा कई स्थान आंतरिक रूप से आवागमन हेतु असुरक्षित एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहां सदेव

यात्रा के समय जान का खतरा बना रहता है। चम्बल बीहड आदि से गुजरना पड़ता है। पड़ौसी देश के एजेन्ट्स भी अपीलार्थी के पीछे सक्रिय रहते हैं। ऐसे में ऑफ ड्यूटी/अवकाश काल में स्वयं की एवं परिवार की जानमाल की हिफाजत करने हेतु अपीलार्थी के पास हथियार होना आवश्यक है। सरकार की गुप्त सूचनाएं भी अपीलार्थी के पास होने से सक्रिय भारतीय थल सेना के अफसर कैडर को जान का हमेशा खतरा बना रहता है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी थल सेना में प्लटून वेपन में (AK-47, 5.56 INSAS RIFLE, INSAS 5.56 LMG, PISTLE, ROCKET LAUNCHER, 51MM MORTOR) कोर्स में उत्तीर्ण है। सपोर्ट वेपन (Medium Machine Gun, ANTI-GRANADE LAUNCHER,) कोर्स में उत्तीर्ण है। और कमाण्डों कोर्स बेलगांव से कर चुका है और इन हथियारों को चलाने में निपुण है। अपीलार्थी को कमाण्डिंग ऑफिसर 12 गढ़वाल राईफल्स से दिनांक 20-8-2014 को चरित्र प्रमाण पत्र जारी करते हुए प्रमाणित किया है कि अपीलार्थी भारतीय थल सेना में पिस्टल/गन चलाने हेतु प्रशिक्षित है व अपीलार्थी को हथियार गन लाईसेंस जारी करने की अभिशंका की है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की दादी उस समय 81 वर्ष की थी उनके द्वारा उनके पूर्वजों से प्राप्त बंदूक डबल बैरल 22 राईफल व 410 शॉटगन, मेक गेम्स गेटर गन्स, मार्बल कम्पनी यूएस.ए के लाईसेंस धारक है, अपनी वृद्धावस्था के कारण रखरखाव में आने वाली कठिनाईयों के कारण अपीलार्थी के नाम करने हेतु दिनांक 24-7-2014 को ही आवेदन पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया था। हेयरलूम पॉलिसी अन्तर्गत 70 वर्ष की आयु अथवा 20-25 वर्ष तक शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी अपने हथियार को अपने पुत्र, पुत्री आदि को बन्दूक/हथियार हस्तांतरण करना चाहता/चाहती हो तो नवीन अनुज्ञा पत्र मिनिस्टरी ऑफ होम अफेयर्स के अन्तर्गत किया जा सकता है।

उनका यह भी कथन है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को अपीलार्थी के दादी के स्वयं के अनुज्ञा पत्र निरस्तीकरण बाबत सहमति सलंगन करने हेतु लिखने एवं स्वयं हस्ताक्षरित पत्र प्रस्तुत कर दिया था कि अपीलार्थी (पौत्र) कौशलेन्द्र के.के.सिंह के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी होते ही उनके शस्त्र का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जावे। उसके बावजूद भी अपीलार्थी का नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र आवेदन पत्र दिनांक 5-8-2014 द्वारा अपास्त कर कानूनी भूल की है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलार्थी का नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आवेदन पत्र जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर की रिपोर्ट दिनांक 6-4-2015 में अपीलार्थी को किसी से जानमाल का खतरा नहीं होने के अंकन के आधार पर खारिज किया है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश दिनांक 5-08-2014 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपीलार्थी की दादी कृष्णा कुमारी पत्नी डा. हनुमान सिंह के नाम से जारी बंदूक डबल बैरल 22 राईफल व 410 शॉटगन, मेक गेम्स गेटर गन्स, मार्बल कम्पनी यूएस.ए के लाईसेंसधारी थे। उक्त लाईसेंस गत 20-25 वर्ष से अजमेर से ही नवीनीकृत होता आ रहा है। अपीलार्थी की दादी की वृद्धावस्था एवं रखरखाव में आने वाली कठिनाईयों के कारण उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र अपीलार्थी के नाम हस्तांतरण करने हेतु आवेदन पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

यहां यह उल्लेखनीय होगा कि प्रस्तुत प्रकरण में विषय वस्तु को दो भागों में विभक्त किया जावे। प्रथमतः (1) नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र के लिए अपीलार्थी के द्वारा आवेदन की आवश्यकता एवं अपीलार्थी की पात्रता, एवं (2) **Family heirloom policy** के तहत शस्त्र का हस्तांतरण (Transfer)। इस क्रम में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

1. शस्त्र हेतु अनुज्ञा के आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा यह दर्शाना आवश्यक होता है कि किस कारण हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र चाहा गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 12 में "शस्त्र की आवश्यकता में केवल "स्वयं की रक्षा, स्पोर्ट्स व टारगेट शूटिंग (पैतृक शस्त्र) बाबत उल्लेख किया गया है।
2. अपीलार्थी द्वारा आवेदन किये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक न्याय/शस्त्र/2014/14318 दिनांक 5-8-2014 द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र के संबंध में 6 बिन्दुओं पर रिपोर्ट चाही गई थी जिसके बिन्दु संख्या 6 में "भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय नई दिल्ली के नवीन निर्देशानुसार प्रार्थी को किसी से जानमाल का खतरा हो, प्रार्थी को किसी ने धमकी दी हो, प्रार्थी ने उसके विरुद्ध थाने में रिपोर्ट लिखवाई हो अथवा **Family heirloom policy** के तहत हो तो उसका भी परीक्षण कर रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया जावे। "

जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा प्राप्त बिन्दुवार रिपोर्ट जिसमें उल्लेखित है कि आवेदक हिस्ट्रीशीटर नहीं है, आवेदक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है, आवेदक आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध नहीं हुआ है, आवेदक के विरुद्ध शांति भंग करने की कार्यवाही नहीं की गई है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित सभी आलेख तथ्यात्मक दृष्टि से सही पाये गये है। बिन्दु संख्या 6 की शेष रिपोर्ट जो "भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय नई दिल्ली के नवीन निर्देशानुसार प्रार्थी को किसी से जानमाल का खतरा हो, प्रार्थी को किसी ने धमकी दी हो, प्रार्थी ने उसके विरुद्ध थाने में रिपोर्ट लिखवाई हो " के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा अंकित किया है कि आवेदक को किसी से कोई जान-माल का खतरा नहीं है, आवेदक को अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर, पुलिस अधीक्षक सीआईडी, तहसीलदार, अजमेर, वन विभाग, अजमेर से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें अपीलार्थी का व्यवहार व आचरण अच्छा है तथा कभी शांति भंग की कार्यवही नहीं हुई है, का उल्लेख तो है लेकिन किसी भी विभाग द्वारा जांच रिपोर्ट में यह कहीं अंकन नहीं किया है कि अपीलार्थी को किसी विशेष व्यक्ति से जान माल का खतरा है या किसी व्यक्ति के द्वारा अपीलार्थी को धमकी दी जा रही हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं बहस के दौरान भी अपीलार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि अपीलार्थी ने किसी व्यक्ति/अपराधी के विरुद्ध कोई प्रकरण किसी भी थाने में दर्ज कराया हो। अपीलार्थी द्वारा अपनी दादी के नाम जारी पैतृक शस्त्र प्राप्ति हेतु जो कारण दर्शित किये गये हैं वह उचित एवं सन्तोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित अपीलार्थीन आदेश दिनांक 5-8-2014 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर) का आदेश क्रमांक कअ/न्याय/शस्त्र/ 14317 दिनांक 5-8-2014 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28-4-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)  
संभागीय आयुक्त,  
अजमेर